भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार का अधिनियम 2013 की धारा 45 के आलोक में परियोजना स्तर पर " पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन समिति" का गठन से संबंधित उपायुक्त, हजारीबाग की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – पंजी में संधारित है।

सर्वप्रथम उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 374 दिनांक 10.04.2015 मं निहित भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार का अधिनियम 2013 की धारा 145 के आलोक में परियोजना स्तर पर **"पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति"** के गठन से संबंधित निदेश की जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त समिति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम/योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगी। उक्त समिति ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी।

उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा समिति का गठन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जो निम्नप्रकार है–

1. संबंधित जिला के उपायुक्त–अध्यक्ष
2. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता–सदस्य सचिव
3. प्रभावित क्षेत्र में रहनेवाली महिलाओं का प्रतिनिध–सदस्य
4. प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि–सदस्य
5. प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि–सदस्य
6. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि–सदस्य
7. परियोजना का भूमि अर्जन पदाधिकारी–सदस्य
8. प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति–सदस्य
9. जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति–सदस्य
10. संबंधित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधान सभा का सदस्य–सदस्य
11. अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि–सदस्य

उक्त आलोक में जिला स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि समिति का गठन भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार का अधिनियम 2013 की धारा 45 के आलोक में प्रत्येक प्रोजेक्ट के अनुसार किया जाना है। उनके द्वारा बताया गया कि जो परियोजना जिस क्षेत्र में है उसस क्षेत्र के माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य पंचायत प्रतिनिधि यथा प्रमुख, मुखिया, पंचायत सचिव एवं तथा उनके सदस्य होगें।

नगरपालिका क्षेत्र में पडनेवाले परियोजनाओं के लिये माननीय सांसद, माननीय विधायक तथा नगरपालिका अध्यक्ष उसके सदस्य होगें।

प्रत्येक परियोजना (अधियाची विभाग) के एक प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगें, जिसको उस परियोजना के द्वारा नामित किया जायेगा।

जो परियोजना जिस क्षेत्र में पडती है उस क्षेत्र के एक बैंक का एक प्रतिनिधि उस समिति के सदस्य होगा। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन जातियों का एक–एक प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगा। जिसको उस क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि समिति का मुख्य कार्य आर० एण्ड आर० पॉलिसी में किसी भी तरह के आनेवाली समस्या का जॉच कर उसका निराकरण करना है। उनके द्वारा बताया गया कि जिस तरह MNREGA में सामाजिक अंकेक्षण का का कार्य किया जाता है उसी प्रकार से इस समिति परियोजना से विस्थापित ब्यक्तियों के लिये सामाजिक अकेंक्षण का कार्य करेगी। समिति विस्थापित सदस्यों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य करेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक 130 (गो) / प्र. आ० दिनांक 28-08-2015

प्रतिलिपिः— श्री जयंत सिन्हा, माननीय सांसद, हजारीबाग—सह—वित राज्य मंत्री, भारत सरकार।

प्रतिलिपिः— श्री सरयु राय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रभारी मंत्री —सह— अध्यक्ष, जिला योजना समिति, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— श्री रविन्द्र राय, माननीय सांसद कोडरमा।

प्रतिलिपिः— श्री मनीष जायसवाल, माननीय विधायक, सदर, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय विधायक, माण्डु, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— श्री मनोज कुमार यादव, माननीय विधायक, बरही, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय विधायक, बरकट्ठा, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— श्रीमति निर्मला देवी, माननीय विधायका, बडकागांव, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष, नगर पर्षद, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष, जिला परिषद, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— अनुमाण्डल पदाधिकारी, सदर / बरही, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः— महाप्रबंधक, एन0टी0पी0सी0, हजारीबाग / महाप्रबंधक, ओ0एन0जी0सी0, हजारीबाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ई0एस0आर0 कम्पनी, हजारीबाग / महाप्रबंधक, उषा मार्टिन हजारीबाग / महाप्रबंधक, हिंडाल्को हजारीबाग / परियोजना निदेशक, एन0एच0 ए0 आई0—02, धनबाद / परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0—33, रांची / परियोजना निदेशक, जे0एस0डब्लू0, हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, के0 टी0 पी0 एस0, कोडरमा / निदेशक, दामोदर घाटी निगम, हजारीबाग / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी।

25/08/15

उपायुक्त,
हजारीबाग।